

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017-18 में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रविष्टि की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत शैक्षिक सत्र 2017-18 में गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर नवप्रवेशित व पूर्व सत्रों के क्रमोन्नत बालक-बालिकाओं के भौतिक सत्यापन का कार्य सत्र 2017-18 में सम्पन्न हुआ था, लेकिन कुछ गैर-सरकारी विद्यालयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन एन्ट्री नहीं हो पाई थी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट 2017-18 की ऑनलाइन एन्ट्री नहीं होने के कारण इन विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की क्रमोन्नति शैक्षिक सत्र 2018-19 में नहीं हुई है तथा यह विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इन गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा परिवेदना दी गई है कि उन्हें शैक्षिक सत्र 2017-18 की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन करने की अनुमति दी जाये।

अतः इन विद्यालयों की परिवेदना एवं विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सत्र 2017-18 के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट को प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करने एवं कार्यालय द्वारा इनका मिलान कर सत्यापित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति विद्यालय के शैक्षिक सत्र 2018-19 में करवाये जा रहे भौतिक सत्यापन के पूर्व तक ही मान्य होगी। जिन गैर-सरकारी विद्यालयों ने शैक्षिक सत्र 2018-19 में ऑनलाइन लॉटरी के बाद निःशुल्क सीट्स पर विद्यालय में प्रवेश तो दे दिया है लेकिन प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है। ऐसे विद्यालयों को पुनः एक अवसर देते हुए विद्यालय में भौतिक सत्यापन से पूर्व तक इन विद्यार्थियों का विवरण अपडेट करने की स्वीकृति दी जाती है।

भवदीय  
12/09/18  
(महेश कुमार गेरवानी)  
शासन उप-सचिव  
01C

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त रास्कूशिप, जयपुर।
4. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एवं प्राइवेट स्कूल पोर्टल प्रभारी, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. राज्य समन्वयक, पीएसपी-सीसी, शिक्षा संकुल जयपुर।

12/09/18  
शासन उप-सचिव  
01C